SHRI LAL K. ADVANI: In deference to your wishes, let us proceed with the question and supplementaries. But immediately after >he Question Hour is over, let us hear wh; the Government has to say about it.

श्री राजनारायण: श्रीमन्, अभी इस का जवाव ने लिया जाय।

श्री सभापति । आप वैठिये ।

श्री राजनारायण । मैं बैठूं क्यों ? हमारा प्वाइंट आफ आर्ड रहें । You can not proceed' आप नियम के अनुसार आगे बढ़ नहीं सकते जब प्रिविलेज का सवाल उठ गया...

श्री समापति : यह, प्रिविलेज का सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण: तो मैं उठा रहा हूं। मैं आप से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि आप नियम देखें। यह सवाल केवल आडवाणी साहब का ही नहीं है।

श्री समापित: कोई प्रिविलेज का सवाल विना मेरी परिमशन के नहीं आ सकता और मैं इस के लिए परिमशन नहीं दे रहा हं।

श्री राजनारायण । आप मेरी बात सुनिये। क्या सरकार ने जो सवाल का उत्तर के समकक्ष समाचार पत्नों में कोई विज्ञप्ति नहीं निकलवायी है यह सवाल हैं? अगर निकलवायी है तो इस सदन का उस से अपमान हुआ है। आप इस के लिए मंत्री जो से पूछें और वह खड़े होकर जवाब दें।

श्री समापति : सारा वक्त इसी में निकल जायगः ।

श्री जगदम्बी प्रसाद वादव: सभापति महोदय इसके साथ एक प्रक्त जुड़ा हुआ है, सदन को गलत उत्तर दिया गया है।

श्री समापति: अब इसे चलने दीजिए। एक दम से सब नहीं लिया जासकता। SHRI LAL K. ADVANI: With your permission .

MR. CHAIRMAN: Please sit down. This time should be usefully occupied by hon. Members.

SHRI LAL K. ADVANI: I appreciate your point. I agree that we sould continue with this question. I wanted to point out this important matter and I would raise it with your permission again, not without your permission.

SHRI TRILOKI SINGH: May If know under what rule of the Rules or Procedure of the House, the hon. Minister has been stopped from answering this question?

MR. CHAIRMAN : He has not been stopped.

SHRI TRILOKI SINGH: Then let him

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let the question be put.

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

* 123. श्री लाल आडवाणी : 🕇

डा० नाई महावीर

श्री जगदीश प्रसाद माथर :

श्री श्रीकांत मिश्र :

श्री ना० हु० शेजवलकर :

श्री सुन्दर सिंह घंडारी:

श्री प्रेम बनोहरः

थी जगदम्बी प्रसाद यादव :

थी निरंजन वर्माः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाये; और
- (ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतित्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lal K. Adwani.

SUGAR MILLS TAKE OVER IN U. P.

♦123. SHRI LAL K. ADVANI:
DR. BHAI MAHAVIR:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHLR:
SHRISRIKANT MISRA:
SHRI N. K. SHEJWALKAR:
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:
SHRI PREM MANOHAR:
SHRI J. P. YADAV:
SHRI NIRANJAN VARMA:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that a sub-Committee of the Uttar Pradesh Cabinet has recommended that the Sugar Mills in the State be taken over by the State Government; and
- (b) if so, what is the reaction of the Government of India thereto and what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

- (a) The Uttar Pradesh Government had appointed a 3-man Committee under the Chairmanship of Shri Virendra Verma (Minister for Irrigation in U.P. State) to go into the qustion of the nationalisation of sugar industry in the State but a copy of the report of the Committee has not been made available to the Central Government. The State Government have however, advised the Central Government that the Committee has come to the conclusion that it is necessary to nationalise this industry in the State.
- (b) The Government of Lit tar Pradesh have continued to maintain that the acquisition of sugar factories for the purpose of nationalisation of sugar industry would not be within the competence of the State Legislature. The Central Government
 - †[] English translation,
- †The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lal K. Advani.

have therefore re-examined the matter and have been advised again that the Parliament as well as a State Legislature are competent to make laws providing for the acquisition of sugar undertakings and for running the business of such undertakings. A State law providing for the acquisition of sugar undertakings uould have to be reserved for the consideration of the President and should receive his assent. The State Government is being informed accordingly.

†[खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे): (क) तथा (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

- (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश सरकार के सिंबाई मंत्री) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति राज्य में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त की थी लेकिन उस समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सुलभ नहीं की गई है। तथापि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राज्य के इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है।
- (ख) उत्तर प्रदेश सरकार की यह घारणा बनी हुई है कि चीनी चीग को राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन के लिए चीनी कारखाने का अभिग्रहण राज्य विघान सभा की सक्षमता से बहार है। अतः केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की पुनः जांच की है और उसे यह सलाह दी गई है कि संसद तथा राज्य विघान सभा ऐसा कानून बनाने में सक्षम है जिससे चीनी प्रतिष्ठानों के अभिग्रहण और ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने की व्यवस्था हो। चीनी प्रतिष्ठानों के अभिग्रहण के लिए बनाए गए राज्य कानून के बारे में राष्ट्रपति की अनुमति तथा उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित किया जा रहा है।
 - †[] Hindi translation.

MR. CHAIRMAN: Do you want to say anything ab mt the allegation?

SHRI FAKHRLDDIN ALI AHMED:

The question I aised is that a breach of privilege has b' en committed because the answer to this qustion instead of being given in the H uuse has been given in the Press. May I ji st draw your attention to the question v hich has been put in the House? The question is:

"Whether it il a fact that sub-Committee of the Ut'ar Pradesh Cabinet has recommenc :d that the Sugar Mills in the St te be taken over by the State Govenment;"

There is no pu jlication of reply to this question. The second part of the question is:

"if so, what is the reaction of the Government of India thereto and What action has been t;ken in this regard?"

Sir, first of; 11, we are not responsible for what has lien published and even assuming thattiiere is some reference to i t What has been mblished has no reference to the quest in n with which we are concerned here. Therefore there is no breach of privilege committed.

SHRI S. N. MISHRA: The question has become v< rv serious now. Any honourable Go ernment will not take a stand of this ty ie. namely, that they are not responsible for the publicity of the the decision oft ie Government. Generally, they give decisons of the Government to the Press and t would have been quite honourable of ti.em to have said that they did not have tilis question in mind. Otherwise, I riust say that this Government is denyin; something which it has been doing day in and day out. All the decisions of the Cabinet are given in this form to th'-Press and well, Sir, now in order to save their skin they say that they have not .riven to the Press which would not conv ice us. Certainly I would say that so far is the question of substance is concerned, the substance is the same as has appeared ir the newspapers. There is abso'ately no difference between the substance of the question and the substance of the Government decision conveyed to the Press. So, on all these matters the Minister has complicated the matter and we are not satisfied it all. My submission would be that this matter would require looking into by you

(i iterruptions)

MR. CHAIRMAN: You give a Motion.

SHRI S. N. MISRA: Motion? Then again I must say I have a Motion against the Minister of Information and Broadcasting and I am going to take that up . . .

(Interruptions)

SHRI S.N. MISHRA: Please say that.

MR. CHAIRMAN: I will look into that.

{Interruptions)

श्री राजनारायण: श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर अभी दिया उस उत्तर को सुनने के बाद निश्चित ही अब यह प्रश्न विशेषाधिकार का हो जाता है। जो चीज सदन में घट रही है उसके लिये आपको यह नहीं कहना चाहिये कि आप लिख कर दीजिये या हम बाद में देखेंगे।

श्री समापति : अच्छा हो गया, आप वैठिये।

श्री राजनारायण: हो क्या गया? आप यह कह सकते हैं कि सदन में यह चीज उठी है हम देखेंगे।

Everything happens in the eyes of the House.

श्रीसभापतिः कहातो दिया, कितनीदफा कहूं।

श्री राजनारायण : आप तो कहते हैं कि लिख कर दें।

श्री सभापति : आप बेकार हाउस का वक्त ले रह हैं।

श्री राजनारायण : बेकार नहीं साकार ले रहा हूं। बकार तो माननोय मंत्री ले रहे हैं।

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, I would like to know from the Minister whether it is* a fact that the Law Secretary of the Government of India as well as the Solicitor-General have gi<-en the categori-rical opinion that i t is the Central Government which ought to legislate in regard

AN HON. MEMBER: Is this a complaint of breach of privilege?

Govrnment's decision is sound, legally and

constitutionally That is No. i,1 Sir.

SHRI FAKHRUDDN ALI AHMED: Sir, it is true that a question arose as to whether a State Government along with the Government of India is competent to legislate so far as the nationalisation of the sugar industry is concerned. The opinion given by the Law Department— the matter was referred to the Law Secretary who gave the opinion that the State Government was not competent to legislate on nationalisaton of the industry. The matter was referred to the Solicitor-General. His opinion was that both the State Government and the Central Government are competent to legislate on nationalisation of the industry. Now, there was a difference of opinion because the Advocate-General of the State was of the different view that the Stae Legislature was not competent to legislate. So, the matter was referred to the highest authority, the Attorney-General and the Attorney-General now has given the opinion that both the State and the Central Governments are competent to lgislate on nationalisation of the sugar industry and if the hon. Member desires... (Interruptions). I am prepared to lay the opinion of the Attorney-General Solicitor-General.

SHRI C. D. PANDE: Let him be clear. All the opinions . . .

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is asking whether you will place on the Table of the House all the opinions . . .

(Interruptions)

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED Sir, there is the opinion of the Seceretary there is the opinion of the Solicitor-General, there is the opinion of the Attomey-eneral, and there is the opinion of the

Advocate-General of Uttar Pradesh. So far as the opinion of the Advocate General of Uttar Pradesh is concerned, that is perhaps not with us. But I shall lay the other opinions.

to Questions

श्री सभापति : तो आप एटार्नी जनरल की ओपीनियन रखेंगे, और कोई ओपीनियन नहीं? मैंने सुना नहीं अच्छी तरह से इसलिये यह पूछा।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: Whatever is in our possession we shall place before the House.

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, my second question still remains.

श्री चन्द्र शेखर: सभापति महोदय, मुझं यह कहना है कि यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि ओपीनियन वह टेबिल पर रखेंगे...

श्री मुन्दर सिंह भंडारी: यह क्या प्वाइंट आफ आइंर है ?

श्री चन्द्र शेखर : जी हां । सभापित महोदय, आपकी राय में जानना चाहता हूं—आप एक न्याय-वेता हैं—िक क्या सालिसिटर जेनरल और एटानीं जेनरल से यह सलाह लिये विना कि उनकी ओपीनियन सदन के पटल पर रखी जाय या नहीं यह सरकार के लिये उचित होगा कि इस तरह की रायों और सम्मतियों को यहां रखें।

MR. CHAIRMAN: It is for the Government to decide.

(Interruptions)

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: May I say that the hon. Member is under some erroneous impression that I am going to ask the Attorney-General or the Solicitor-General for laying their opinions before the House. I said whatever is available with us, we shall place before the House.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Sir, my contention is that he should have taken the consent of those dignitaries before doing that. (Interruptions)

You may agree and the Minister may-agree. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: My ruling is that it is for the Government to decide the propriety of laying their opinion before the House. It is not for us to decide that. It is between th rn and their officers to decide it.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: But it is for me to sa, that it is a wrong thing to

MR. CHAIR MAN: That you have said.

SHRI CHAM5RA SHEKHAR: Sir, I am not saying that he should revise b.U opinion. The Dnly point that I want to make is that t'tis is a wrong precedent. In my opinion the Minister should not have agreed to place it on the Table of the House.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, my second questior is this: I would like to draw his attent on to the statement made by Mr. Jagjiva I Ram in the Lok Sabha on the 15th D -cember last year assuring Parliament th t he would appoint a Committee to itudy the working of the sugar industry i the context of the demand for nationalisat on of the sugar undertakings in certain areas. After all the sugar industry is a vflry sick industry, not only in U. P. but ev n in Bihar and Haryana, and much has to be done about it to safeguard the interests of the cane-growers and workers. Therefore,-I would like to know what has- been done in pursuance of tha? assurance. Either that committee has not been onstituted or it has not finalised its report as yet. Why then this haste in respeci of nationalisation and in one State only ?

SHRI FAKI iRUDDIN ALI AHMED: Sir, the Government stands by the assurance given by my p edecessor, Babuji, in the Lok Sabha.

SHRI S.N. MISHRA: Who is'Babuji'?

SHRI FAK IRUDDIN ALI AHMED: Shri Jagjivan I am.

SHRI S. N. MISHRA: Sir, what is meant by 'Bab nji'? Is it some husband-wife relationsh p that he cannot take the name of Shri Jagjivan Ram ?

SHRI FAKI RUDDIN ALI AHMED: I said 'My predecessor' and thereby I meant Shri Jagjivan Ram. (Interruption) anyway, I replxce 'Babuji' by 'Shri Jagjivan Ram'.

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह: सेभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। इन्होंने तो बाबजी कहा और लीडर आफ दि अपी-जीशन कहते हैं "हसबेंड-बाइफ रिलेशन"। वह तो बहुत अनुपालियामेंटरी है।

MR. CHAIRMAN: Order, order. Let us hear the Minister.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED:

I would like to repeat that I stand by the assurance given by my predecessor Shri Jagjivan Ram, with regard to the appointment of the Committee. This has been delayed because the matter was under reference for legal opinion.

डा० भाई महावीर : पहले तो इस सवाल के संबंध में मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहंगा। एक वक्तव्य हमें दिया गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बीरेन्द्र वर्माकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की वगैरह वगैरह। हमारे पास इसके पहले का स्टेटमेन्ट है जो इसी सवाल से संबंध रखता है और उसमें कहा गया था कि "सरकार को इस बात का पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश मंति-मंडल ने राज्य में चीनी मिलों को अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई उप समिति स्थापित की है। अब वर्तमान स्टेटमैन्ट जो है उसमें अंतर यह किया गया है कि एक जगह उत्तर प्रदेश सरकार है और दूसरी जगह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल कहा गया है, तो सरकार यह स्पष्टीकरण दे कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला किया है या सरकार ने फैसला किया है और यह कि ये दो अलग अलग वक्तव्य सरकार की ओर से कैसे आए।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार इस सवाल को सिर्फ एक टेकनिकल, लीगल सवाल समझती है, या कि चीनी अपने देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग होने के नाते इसको सरकार के हाथ में लाये जाने के जितने पहल ह उनके ऊपर राजनैतिक और आर्थिक विचार करना भी आवश्यक समझती है। जगर आर्थिक विचार करना बावश्यक नहीं था तो श्री जगजीवन राम से इस समिति की नियुक्तिके

बारे में घोषणा करते हुए जब यह पूछा गया कि क्या इस समिति में गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे, क्या उसमें गन्ना या चीनी उत्पादकों के भी कर्मचारी जो हैं उनके प्रति-निधि होंगे, तो उन्होंने कहा था कि जरूर होंगे। तो यह सारा केवल कानूनी या टेकनि-कल पहलू नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं: क्या सरकार इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार करने के लिये कोई कदम उठायेगी, या कि केवल टेकनिकल और लीगल ओपी-नियम लेकर के इस पर संतृष्ट हो जायेगी?

महोदय, तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार ने चीनी मिलों के बारे में जो रवैया अपनाया वह बाकी सारे ऐसे उद्योगों के बारे भी है जिनकी राज्य सरकारें अपने हाथ में लेने का विचार कर रही हों?

श्री फ़खरहीन अली अहमद: जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, सवाल हमसे पूछा गया था कि सब-कमेटी आफ कैंबिनेट ने कोई ऐसा फैसला लिया है या नहीं, तो हमने कहा हमें यह नहीं मालूम कि यू० पी० कैंबिनेट की सब-कमेटी ने कोई फैसला लिया है या नहीं, बल्कि एक कमेटी जिसके चेयरमैन श्री वर्मा थे वह अपोइन्ट की गई है। इसलिये कोई उसमें डिफरेन्स नहीं है कि क्या वहां की सब-कमेटी ने फैसला किया...

SHRI C. D. PANDE: On a point of order.

श्री समापति : भाई, पहले उनको सवाल का जवाब खत्म कर लेने दो।

श्री फ़खरहीन जली अहमद : 'दूसरा जो सवाल किया गया है वह यह है कि लीगल ओपीनियन के इनहसार पर हम आगे कदम वड़ायेंगे या और भी इन्कायरी होंगी, तो जैसा मैंने कहा, एक कमेटी आफ इन्कायरी वनाई गई है। वह तमाम पहलुओं को देखकर जब हमारे पास रिपोर्ट देगी कि हमें क्या कदम उठाने हैं, तब हम उस कदम को उठा-गे।

जहां तक चीनी की इन्डस्ट्री और दूसरी इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री है और जो इस किस्म के सवाल हमारे सामने आयेंगे, जिस इन्डस्ट्री के आयेंगे, उस वक्त हम गौर करेंगे।

SHRI G. D. PANDE: On a point of order. May I know whether the Committee, as promised by Shri Jagjivan Ram, is the same as the one of Mr. Virendra Varma? My idea is that this is a different one and it cannot be replaced by the other.

MR. CHAIRMAN: That is a matter of question, not of point of order.

श्री जगदीश प्रसाद मायर : आपने जो सदन के अंदर उत्तर दिया है और जो स्टेटमेन्ट दिया है, दोनों में विरोघाभास, प्रकट होता है। एक तरफ आपने उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वह कानन बनाकर नेशनालाइजेशन कर सकते हैं दूसरी ओर आप इस बात को पुनः दोहरा रह है, जो श्री जग-जीवन राम ने लोक सभा में आख्वासन दिया था, कि हम समिति की नियक्ति करेंग। तो जगजीवन राम जी के आक्वसान को कार्यान्वित करना चाहते हैं कि समिति राष्ट्रीय सारे विषयों पर विचार करण से संबंध करे। राष्ट्रीयकरण हो या नहीं हो, और कौन करे, उसके करने से क्या क्या परि-स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या वह सिमिति उन विषयों पर विचार करने वाली है ? एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य पर आगे बढती है तो आपकी समिति की नियक्ति का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिये आप कब तक कबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जैसा लोक सभा में आइवा-सन दिया गया था. आप अभी भी कह रहे हैं कि हम बाबूजी के द्वारा दिये गये आश्वासन पूर्ति करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को दिये गये आपके ग्रीन सिग्नल का क्या अर्थ रहता है ?

मेरा दूसरा प्रथम यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस कदम को उठा रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के आधिक ोत क्या इतने हैं कि वह सारे का सारा कम्पेन्सेशन उनको दे सकें। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के रिसोर्सेज नहीं हैं तो क्या आपने अपने प्लान के अंदर या केन्द्रीय सरकार की ओर से उनको सारे आधिक साधन उपलब्ध कराने की तैयारों की है?

SHRI FAK1 [RUDDIN ALI AHMED: Sir, so far as tie legal aspect is concerned, it is a question of the legal competence of the State Legislature and the Government of India and. as has been pointed out, the legal opinion is that this matter is within the leg il competence both of the Central Government and the State Government, and that is what we are going to convey to the (lovernment of Utter Pradesh. Now it is for them to take a decision, but so far as the question of the sugar industry is concerned, in the contest of the demand for nationalisation we have decided to appoint a committee and, after its report is avail ble, with regard to nationalisation in the entire country the question will be decide i by us after their report is available to us. We stand by the appointment of tha: Committee

श्री जगदीक्ष प्रसाद माथुरः

रिसोर्सें के बारे में भेरे दूसरे सवाल का आपने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को रिसोर्सें देने के लिये आपने तैयार की है?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: The question of resources has not arisen because the U. P. Government has not asked us for a; <y help and we do not know what would be their requirement of resources.

श्री जगदीक प्रसाद माथुर : फिर क्यों वह घाटे पर बल रहे है, कर्जे पर चल रहे हैं? श्री समापति : अब बैठ जाइये।

श्री मुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मैं आपके स।मनं एक गन्भीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। यदि सरकार आज के दिये गये दोनों उत्तरों को स्वीकार करती है, जो हमें

इस समय प्राप्त हुए हैं, तो मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहुंगा: सरकार इस सदन को गुमराह करना चाहती थी, सरकार इस सदन से कुच चीजें छुपाना चाहती थी क्योंकि पहले उत्तर मैं यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि "उस समिति की रिपोर्टराज्य सरकार के विचाराधीन है और उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार को सूलभ नहीं की गई हैं।" जब यहां मेज पर उत्तर मिलातो यह जवाब था। उसके बाद दूसरा उत्तर 11 वज कर 10 मिनट पर मिला है उसमें लिखा है "तथापि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राज्य के उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हैं।" और (स्त) के जवाव में पहले कहा गया था "प्रक्न ही नहीं उठता" लेकिन दूसरे जवाब में उन्होंने कहा है कि "उत्तर प्रदेश सरकार की यह धारणा बनी हुई है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन के लिये चीनी कारह्मानों का अभि-ग्रहण राज्य विघान सभाकी सक्षमताके बाहर है, अतः केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की पून: जांच की है और उसे यह सलाह दी गई है कि संसद् तथा राज्य विद्यान सभा ऐसा कानून बनाने में सक्षम है।" यह पहला जवाब है भारत सरकार का, सदन को गमराह करने के लिये। मेरा यह चार्ज है कि यह दूसरा जवाब आज सुबह सरकार ने असवारों में, समाचारपवों में, जो छपवाये उसको छिपाने के लिये यह दूसरी तैयारी की गई है। इसके सदन के विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन हुआ है। मैं चाहुंगा कि आप इस सवाल को विशेषाधिकार की दृष्टि से सौंपे जाने के लिये परीक्षण करवाएं। ये दोनों प्रश्न जो कि सचिवालय के और संदन के कब्जे में हैं इतका अध्ययन किया आये।

दूसरा मेरा सवाल इस प्रश्न पर यह है कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की शक्कर मिलों में अब 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। एक, दो मिलें ऐसी हैं जो राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में काम कर रही हैं, कुछ मिलें ऐसी हैं जिनको पिछले

छ: सात महीनों से सरकार ने अपन कब्जे में लेकर चलाया, कुछ मिलें ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र मैं चल रही हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहंगा कि यह सलाह देते समय राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में चलने वाले मिलों के संबंध में उनका परीक्षण क्या रहा जिन्हें छः सात महीने पहले सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और जिन्हें वह खुद चला रही थी, उनकी प्रोग्नेस रिपोर्ट क्या है और क्या उनकी परि-स्थिति में स्वार हुआ या विगाइ हुआ। इन मिलो में कुछ फायदा हुआ या नहीं ? इन सब बातों पर विचार करने के बाद सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है या यह कोई एडहाक डिसिजन है ?

2.7

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: Sir, I would like to point out that there is no difference in the reply given earlier and the latest information which has been now placed before the House.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: If the Minister presists with both the replies I would request you to refer it to the privileges

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: I did not interfere when he was speaking. I would like to draw your attention to the fact that the question was whether it is a fact that a sub-Committee of, the Uttar Pradesh Cabinet has recommended that the sugar Mills in the State be taken over by the State Government. Our first reply was that the Government are not aware if the Uttar Pradesh Cabinet set up any Sub-Committee to consider the question of taking over of the Sugar Mills in the State; however, if the reference is to the 3-man Committee appointed by the U. P. Government under the Chairmanship of Shri Virendra Verma, the Report of the Committee is under the consideration of the State Government and a copy thereof las not been made available to the Central Government. Now our present reply is that the Uttar Pradesh Government had appointed a 3-man Committee under the Chairmanship of of Shri Virendra Verma to go into the question of the nationalisation of sugar industry in the State but a copy of the Report of the Committee has not been made available to the Central Government. The State Government have,

however, advised the Central Government that the Committee has come to the conclusion that it is necessary to nationalise this industry in the State. What the difference between the two replies is I have not been able to understand.

MR. CHAIRMAN: You please answer the second question.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : So far as the answer to the second question is concerned, acquisition of j roperty for the purpose of nationalisation is entirely different from acquisition of some fac tories or industries which are sick and which are not being managed properly. It is true that some factories have been taken over because of bad management and because they are sick but that cannot be compared with the procedure for nationalisation and so on.' There is no such nationalised industry in U.P. so far as I know.

श्री जगवम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात की सलाह और आजा दी है-जैसा कि आज के अखबार के पढ़ने से मालम होता है-कि वह अपने यहां की श्यर मिलों को नेशनालाइज कर सकती है। इस समय उत्तर प्रदेश में 60 से भी अधिक शगर मिलें है और अगर उनको सरकार अपने अधिकार ले में लेती है तो उनकी क्षति-पति के लिए उसे करोड़ों रूपया देना पड़ेगा। इन मिलों को कथ्जे में लेने के बाद कितना मुआवजा देने का अन्दाजा है जब कि वहां की सरकार अपनी चौथी योजना को पूरा करने के लिए ही घन नहीं जुटा पा रही है। इसलिए वह इन मिलों को किस तरह से क्षतिपूर्ति दे सकेंगी।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हं कि क्या सरकार ने इस प्रकार की आज्ञा या सलाह केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को ही दो है या अन्य सरकारों को भी दी है क्योंकि बिहार और अन्य राज्यों से भी इस बारे में केन्द्र से मांग की गई थी। जिस समय उत्तर प्रदेश में दल बदल की कार्यवाही चल रही थी तो उस

समय की सरकार ने भी इस तरह की मांग की थी मगर सरकार ने उस समय कुछ नहीं कहा। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि वह केवल एक ही प्रदेश की शुगर इन्डस्ट्री के लिए कानून बना रही है या सारे देश के लिए कानून बनायेगी। क्या वह इस समय केवल उत्तर प्रदेश में इस के बारे में ट्रायल कर रही है।

SHRI FAKH IUDDIN ALI AHMED: Sir, I am real y surprised that the hon. Member goes b • what has appeared in the newspaper andt akes it that is that the decision of the Government. Government have taken no decision whatsoever to give advice to the Uttar Pradesh Government. What the Government have decided is that the question of competency for bringing legislation was raised and the opinion of tie Attorney-General and other officers vill be conveyed to the Uttar Pradesh government for their consideration and other questions do not airse.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: As far as I rente nber, there is a proposal of the Bihar Government also for the nationalisation of th industry, but the matter has not gone vey far. They have appointed a committee themselves whicr has now gone into this question. After the report of the commi tee is available and they approach us, we shall take necessary action.

श्री निरंजन वर्माः श्रीमान्, क्या सरकार वतलायेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस प्रकार की आशंका थी कि वह आपकी अनुमति के बिना इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती है और श्या इसी प्रकार की आशंका हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार की सरकारों ने भी प्रकट नहीं की थीं। यदि प्रकट की थी तो उन्हें आपने किस प्रकार का उत्तर दिया है।

SHRI DEV DATT PURI: Having regard to the \ ery late crushing operations in the current season in UP and an even larger crop in] »rospect in the next season and also the v-a-y short time available for overhauling plants, will tie Government India see that the uncertainty is removed

in this regard? Otherwise, crores upon crores of maunds of cane will remain incrushed next season.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: From the statement which I have been making in this House, that uncertainty can be removed.

श्री समापति : श्री राजनारायण ।

श्री ए० पी० जैन:श्रीमन्, मैंने भी इस संबंध में एक सवाल पूछना है।

श्री समापति : पहले राजनारायण जी ने इस बारे में इजाजत मांगी है।

श्री ए० पी० जैन : जब हमारी बारी अप्रेमी तो क्वस्वन आवर ही खत्म हो जायेगा। हम महीने में एक दो बार सवाल करते हैं और बह भी करने का मौका नहीं मिलता है।

श्री समापति : श्री राजनारायण जी ने सबेरे से ही नाम दे दिया था और सुमने उनका नाम लिख लिया था।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री जगजीवन राम जी ने लोक सभा और राष्ट्रय सभा में यह कहा था कि केन्द्र की ओर से इस संबंध में एक सिमित बनाई जायेगी जो सभी मामलों पर विचार करेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सिमित बनी या नहीं बनी? इसका एक सीधा सादा उत्तर आना चाहिये। अगर नहीं बनी तो क्या अब भी केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पैमाने पर शुगर इन्डस्ट्री के बारे में जांच पड़ताल करके एक समुचित और साधु कदम उठाने के लिए तथा सलाह देने के लिए कोई कमेटी बनायेगी या नहीं बनायेगी।

हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह सरकार खुद जानती है कि एडवोकेट जनरल की राय इस संबंध में भिन्न है, उनके ला सेकेटरी की भिन्न है, ला डिपार्टमेंट की भिन्न है, सालिसिटर की राय भिन्न है और एटार्नी जनरल की राय भिन्न है, तो क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति को यह सलाह देगी

कि अन्च्छेद 143 के तह में राष्ट्रपात स्वत: इस भामले पर उच्चतम न्यायालय की सह-मित लें कि क्या राज्य सरकारें इस बारे में कम्पीटेंट हैं कि वे अपने राज्य में शुगर इन्डस्ट्री या अन्य जो इन्डस्ट्रीज है उनको अपने कथ्जे में ले सकती है या नहीं। मैं पूरी जी की वात से सहमत हं कि इस समय उत्तर प्रदेश में अनसर्टेन्टी फैली हुई है।

श्री सभापति : अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आपके सवाल का जवाब नहीं आ सकेगा क्योंकि 12 बज रहा है।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, श्री चन्द्र शेखर के साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है और उनके सवाल को किसी ने समझा ही नहीं।

(Interruptions)

श्री समापति: अव आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण: मैं यह कहना चाहता हं कि यह सरकार इस बात को क्या उचित समझती है क्योंकि उसका दिमाग कानुनी रूप से साफ नहीं है क्योंकि यह तो केवल प्रोपेगन्डा करती चली जा रही है कि राष्ट्रीय-करण होगा। क्या सरकार इस बात को अच्छी तरहसे नहीं समझती है कि अगर एक राज्य में उद्योग समाप्त हो जायेंगे तो दूसरे राज्य में उनकी स्थापना के बारे में होड़ लग जायेगी और इस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध हो जायेंगे।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: So far as the first question is concerned, I have already stated before this House that we stand by the commitment made by Shri Jagjivan Ram rgarding the appointment of a committee. A Committee will be appointed to study the sugar industry in the context of the demand for nationalisation. We stand by that commitment. Therefore, the other questions do not arise at all. After the report comes berore us we shall take such action as is called for.

श्री सभापति : आप सुत्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए तैयार है?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: We do not consider it necessary.

to Questions

MR. CHAIRMAN: Mr. A. P. Jain.

श्री ए० पी० जैन: पहला सवाल तो मैं यह पूछना चाहता हं...

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

ia Noon

श्री ए० पी० जंन: सवालों में किसी कायदे से इजाजत दिया करते हैं या जो जोरजबरदस्ती करता है उसी को इजाजत दिया करते हैं?

MR. CHAIRMAN: No, no.

श्री ए० पी० जैन : आपको सुनना पड़ेगा। आज पहले पहल मैंने कहा, आज तक मैंने सवाल नहीं पूछा महीने, दो महीने में, हफ्ते, दो हफ्ते में इस बात की स्वाहिश जाहिर करता हं लेकिन आपकी निगाह कभी इधर नहीं होती।

श्री सभापति : यह विलकुल सही नहीं है। श्री ए० पी० जीन: यह बिलकुल सही बात

श्री समापति : मैंने श्री अजित प्रसाद जैन को कई दफामौका दिया है वे बोले हैं। मैं एक कायदे से चलता हूं, मैं नाम लिख लेता हूं, जो पहले कहे कोशिश करता हं कि उसको पहले इजाजत दूं लेकिन कभी कभी मैं यह भी करता हं कि जिसको कभी मौका न मिला हो उसको भी मौका देता हुं। आपको मालूम नहीं है कि आपके नाम से पहले कितने नाम लिखे हुए हैं।

श्री राजनारायण : पाइन्ट आफ आईर। मैं अजित प्रसाद जैन के इस कथन पर घोर आपत्ति करता हं कि चेयर दबाव में आता है। चेयर कभी दबाव में नहीं आता, वे वापस ले इन शब्दों को। इनको आप यह बताइए कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हए थे, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा नाम तीसरे प्रश्न पर जरूर रखिए। हमारी इच्छा थी,

हम उत्तर प्रदेश के इस उद्योग को बचाना चाहते है, सम्भानना चाहते हैं जनहित में, इसलिए हम गए। ये बुड्ढे आदमी हैं, इनको सोने से फुरसत नहीं, दावत खाने से फुरसत नहीं यह आपके पास कहां जाएंगे ?

श्रीसमापतिः आपनेइस वक्त हाय उठायः।

श्री ए० पी० जैन । आप नाम कहां लेते हैं, क्या अपने दफ्तर में लेते हैं? मैं आपके दफ्तर में आज तक गया नहीं हूं।

श्री समापति : बड़ी मेहरवानी आपकी, अब अप बैठ जाइए।

श्री ए० पी० जैन । मैं जानना चाहता हूं...

श्री समापित मैंने जवाब दे दिया । मैं कायदे से चलता हूं । जो नाम पहले आ जाते हैं उनको देखक पहले उनमें से कुछ को बुलात हूं । आपके हाथ उठाने से पहले कई नाम यहां लिखे हुए थे ।

ृश्री ए० पी० जैनः ये आपने दफ्तरमें लिखेथे?

श्रीसमापतिः पहापर भी लिखे और वहां पर भी लिखे।

श्री ए० पी० जैनः अब आपको वहांपर लिखाया करें नाम?

श्री समापति: आप वहां आना चाहते हैं तो वहां आएं, वरना यहां लिखा सकते हैं।

श्री ए० पी० जैन । नहीं, प्रोसीजर मालूम हो जाना चाहिए। वहां लिखाया करें या यहां लिखाया करें ?

श्री समापति । प्रोसीजर आप चेम्बर में डिस्कस कर सकते हैं, यहां मैं वक्त नहीं लेना चाहता प्रोसीजर डिस्कस करने में।

श्री महाबीर स्थामी : इनके जैसे तजुर्बेकार आदमी को प्रिफरिस मिलना चाहिए। 2—45 R.S./70 भी राजनारायण: अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह जवाब नहीं है; यह विशेषा-धिकार की अवहेलना है।

श्री समापति: अव आप बैठ जाइए।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

UNEMPLOYMENT INSURANCE SCHEME

♦122. SHRI KALYAN ROY: Will the Minister of LABOUR AND REHA-BILITATION be pleased to state wl ether any steps have so far been taken by Government to introduce the Unemployment Insurance Scheme; if so, the details there-o.r, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): Certain proposals for a Scheme of Unemployment Insurance in respect of employees who are members of the Employees' Provident Fund and the Coal Mines Provident Fund are under consideration. The details have not yet been finalised.

आकाञवाणी पर राजनैतिक वलीं को दिया गया समय

*124 श्री जगवन्त्री प्रसाद यादव : नया सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कुना करेंगे कि :

- (क) 1969-70 के वर्ष के दौरान प्रत्येक राजनैतिक दल को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए औसतन कितना-कितना समय दिया गया; और
- (ख) मित्रयों के भाषण दल के हिसाब में गिने जाते हैं या कि सरकार के हिसाब में; और इन्हें अलग-अलग करने की क्या पद्धति है?

TIME ALLOTTED TO POLITICAL PARTIES OVER THE A. I. R.

- ♦124. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state;
- (a) the average time allotted to each of the political parties for broadcasting over the All India Radio during the year 1969-7°; and
 - t[]English translation.